

वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति

प्रलिस के लिये:

वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति, [कृत्रिम बुद्धिमत्ता](#), सेंसरशिप व्यवस्था, [भारतीय दंड संहिता](#), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, [केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन ब्यूरो](#) (CBFC), [सूचना प्रौद्योगिकी \(मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता\) नयिम, 2021](#)

मेन्स के लिये:

वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति, भारत में सेंसरशिप व्यवस्था और इसके लाभ तथा सीमाएँ, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ एवं क्षमता, पारदर्शिता व जवाबदेही

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

फ्रीडम हाउस (वाशिंगटन DC स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था) द्वारा वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, **पछिले 13 वर्षों से इंटरनेट की स्वतंत्रता में लगातार गिरावट** की एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें 29 देशों में मानवाधिकारों के लिये ऑनलाइन पारस्थितिकी तंत्र की स्थिति गंभीर पाई गई है।

- इस रिपोर्ट में जून 2022 और मई 2023 के बीच इंटरनेट की स्वतंत्रता के संदर्भ में हुए विकास को कवर किया गया है। यह विश्व भर के 88% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की हसिसेदारी रखने वाले **70 देशों** में इंटरनेट की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करती है।
- यह रिपोर्ट देशों का मूल्यांकन करने के लिये **पाँच सेंसरशिप तरीकों** का उपयोग करती है, जिसमें **इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रतबंध, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतबंध, वेबसाइट ब्लॉक, VPN ब्लॉक और सामग्री (कंटेंट) को इंटरनेट से जबरन हटाया जाना** शामिल है।

रिपोर्ट के प्रमुख बडि:

- **डिजिटल नयितरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका:**
 - डिजिटल नयितरण में [कृत्रिम बुद्धिमत्ता](#) (AI) की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। तेज़ी से परष्कृत और सुलभ होते जा रहे AI-आधारित उपकरणों का उपयोग कम-से-कम **16 देशों** में गलत सूचना को प्रसारित करने के लिये किया जा रहा है।
 - इसके अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक कारणों से अनुपयुक्त मानी जाने वाली **सामग्री/कंटेंट** को स्वचालित रूप से हटाकर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता **22 देशों** में सेंसरशिप दक्षता व प्रभावशीलता को बढ़ाती है।
- **ऑनलाइन अभवियक्त के कानूनी परणिम और हसिक घटनाएँ:**
 - मूल्यांकन में शामिल 70 देशों में से रकिर्ड 55 देशों में उपयोगकर्ताओं को **ऑनलाइन अभवियक्त के कानूनी परणिम** भुगतने पड़े।
 - इसके अतिरिक्त **41 देशों** में व्यक्तियों पर उनके ऑनलाइन बयानों के कारण हमला किया गया या फरि उनकी हत्या कर दी गई।
- **राष्ट्र-वशिष्ट नषिकर्ष:**
 - ईरान में इंटरनेट शटडाउन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की ब्लॉकगि एवं सरकार वशिधी प्रदर्शनों को दबाने के लिये नगिरानी व्यवस्था को और ठोस किया जाना आदि **डिजिटल व इंटरनेट नयितरण में काफी वृद्धि के दर्शाता** है।
 - **इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में चीन** का प्रदर्शन लगातार नौवें वर्ष सबसे खराब रहा, इसके बाद ऑनलाइन स्वतंत्रता के मामले में **म्यांमार दूसरा सबसे दमनकारी देश** रहा।
- **भारत में AI-आधारित सेंसरशिप:**
 - भारत अपने कानूनी ढाँचे में **AI-आधारित सेंसरशिप** का उपयोग कर रहा है, जिससे अभवियक्त की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है और **सत्तारूढ दल की आलोचना** करना कठिन हो गया है।
 - इस रिपोर्ट में **सेंसरशिप व्यवस्था में वसितार** के कारण भारतीय लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर चेतावनी दी गई है, जिससे देश में आगामी वर्ष 2024 में पारदर्शी और नषिपक्ष आम चुनाव हो पाना भी एक चुनौती हो सकती है।

सेंसरशपि:

- सेंसरशपि ऐसी जानकारी, सूचनाओं, वचिारों अथवा अभवियक्तयिों को दबाने अथवा नयित्तरति करने का कार्य है जो कसिी वशिष समूह, संगठन या सरकार के लयि आपत्तजिनक, हानकिारक, संवेदनशील माना जाता है ।
- इसके अंतर्गत व्यक्तयिों, संस्थानों अथवा अधिकारयिों द्वारा कुछ कंटेंट के प्रसार, प्रकाशन या इन तक पहुँच को प्रतबिंधति अथवा सीमति करना शामिल है ।
- भारत के सेंसरशपि नयिमें के दायरे में सभी प्रकार की कला, नृत्य, साहित्य, लखिति, वृत्तचतिर और मौखकि कार्यो के साथ-साथ वजिज्ञापन, थऐटर, फलिमें, टेलीवजिन शो, संगीत, भाषण, रपिर्ट एवं बहस शामिल है ।

भारत में सेंसरशपि की कार्यप्रणाली:

- **दंड प्रक्रया संहति (Cr.P.C):**
 - Cr.P.C की धारा 95 कुछ कंटेंट/प्रकाशनों को ज़ब्त करने का प्रावधान करती है ।
 - यद कसिी समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज़, चाहे वह कहीं भी मुद्रति हो, में ऐसी कोई जानकारी शामिल है जसिे राज्य सरकार राज्य के लयि हानकिारक मानती है, तो इस प्रावधान के तहत जारी एक आधिकारकि अधसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उसे दंडति कयिा जाता है ।
- **केंद्रीय फलिम प्रमाणन ब्यूरो (Central Bureau of Film Certification- CBFC):**
 - **केंद्रीय फलिम प्रमाणन ब्यूरो सनिमैटोग्राफ अधनियिम, 1952** के तहत संचालति एक वैधानकि नकिय है ।
 - यह सार्वजनकि डोमेन के फलिमों की सामग्री के वनियिमन का कार्य करता है ।
 - फलिमें CBFC द्वारा पूर्व प्रमाणन के अधीन होती हैं तथा प्रसारकों को **"प्रोग्राम कोड और वजिज्ञापन कोड"** नयिमें द्वारा प्रमाणन की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है ।
- **भारतीय प्रेस परिषद:**
 - यह **प्रेस काउंसलि अधनियिम, 1978** के तहत स्थापति एक वैधानकि और अर्द्ध-न्यायकि नकिय है ।
 - यह प्रेस के लयि स्व-नयिमक नकिय के रूप में कार्य करती है और मीडया डोमेन में आने वाली चीज़ों को वनियिमति करती है ।
 - यह मीडया कर्मयिों और पत्रकारों के लयि स्व-नयिमन का अभ्यास करने की आवश्यकता पर ज़ोर देने के साथ ही सामान्य रूप से मीडया सामग्री पर नगिरानी रखने का कार्य करती है ताकयिह नरिधारति कयिा जा सके क प्रकाशति-प्रसारति कंटेंट प्रेस की नैतिकता और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप है अथवा नहीं ।
- **केबल टेलीवजिन नेटवर्क अधनियिम, 1995:**
 - यह अधनियिम प्रसारति कयिा जा सकने वाली सामग्रयिों को वनियिमति करता है ।
 - यह अधनियिम केबल ऑपरेटरों का अनुवीक्षण करता है, इस अधनियिम के तहत केबल ऑपरेटरों के लयि पंजीकरण कराना अनविर्य है ।
- **सोशल मीडया प्लेटफॉर्म और नए सूचना प्रौद्योगिकी नयिम, 2021:**
 - सोशल मीडया के वसितार को देखते हुए भारत में इसकी सेंसरशपि चतिा का वषिय रहा है कयोंक हाल में कुछ समय पहले तक यह क्षेत्र कसिी भी सरकारी प्राधिकरण की प्रत्यक्ष नगिरानी अथवा प्रत्यक्ष और वशिषिट वनियिमन के अधीन नहीं था ।
 - वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी अधनियिम, 2000 सोशल मीडया के उपयोग को वनियिमति करता है । इसके तहत वशिष रूप से धारा 67A, 67B, 67C तथा 69A में वशिषिट नयिमक खंड शामिल हैं ।
- **IT (मध्यवर्ती वशिा-नरिदेश और डिजिटल मीडया आचार संहति) नयिम, 2021:**
 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B), भारत सरकार के दायरे में फलिमों, ऑडयो-वजिअल कार्यक्रमों, समाचारों, समसामयकि मामलों के कंटेंट और अमेज़न, नेटफ्लिक्स तथा हॉटस्टार जैसे **OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्मों** सहति डिजिटल व ऑनलाइन मीडया को लाने के लयि भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधनियिम, 2000 के तहत **"व्यावसायकि आवंटन नयिमें"** में बदलाव कयिा है ।

सेंसरशपि के लाभ और सीमाएँ:

- **लाभ:**
 - **सामाजकि सद्भाव को बनाए रखने में सेंसरशपि की भूमकि:** सेंसरशपि समाज में असामंजस्य को बढ़ावा देने वाले तथा सांप्रदायकि वविदों को जन्म देने वाले आपत्तजिनक सामग्रयिों के प्रकटीकरण अथवा प्रसार को रोकने में मदद करती है ।
 - **राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चति करना:** इंटरनेट की सेंसरशपि सामाजकि स्थरिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लयि महत्त्वपूर्ण है ।
 - इंटरनेट की सेंसरशपि बड़ी संख्या में अवैध गतिविधयिों और इंटरनेट संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद करते हुए सामाजकि स्थरिता में योगदान देती है ।
 - यह कुछ अवैध संगठनों अथवा लोगों द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिको प्रभावति करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकती है ।
 - **झूठी मान्यताओं अथवा अफवाहों के प्रसार पर रोक:** सरकार सेंसरशपि का उपयोग झूठी मान्यताओं या अफवाहों के प्रसार को रोकने के लयि कर सकती है और इसका उपयोग उनके सार्वजनकि प्रदर्शन आदजैसी हानकिारक गतिविधयिों को रोकने के लयि भी कयिा जा सकता है ।
 - इंटरनेट की सेंसरशपि ऑनलाइन उपलब्ध अनुचति जानकारी को नयित्तरति करते हुए बच्चों के लयि हानकिारक- बाल अश्लीलता, यौन हसिा और अपराध अथवा नशीली दवाओं के उपयोग के बारे में वसितुत जानकारी प्रदान करने वाले वेबसाइटों से सुरक्षा प्रदान कर सकती है ।
- **सीमाएँ:**
 - **मोरल पुलिसि के लयि उपकरण:** प्रमुख सामाजकि मुद्दों पर ध्यान केंद्रति करने के बजाय सेंसरशपि कानून का व्यावहारकि कार्यान्वयन

अन्य लोगों के जीवन को नयित्तरति करने वाले मोरल पुलसिगि के एक उपकरण में बदल सकता है।

- नए नयिमों के तहत नयिमक संस्थाओं (जो नौकरशाहों से बनी हैं) को प्राप्त व्यापक शक्तियों के राजनीतिक दुरुपयोग का जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।
- **अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान के वरिद्ध:** भारत विविधताओं वाला देश है, ऐसे में गहन सेंसरशिप सभी भारतीय नागरिकों (कुछ उचित प्रतबंधों के अधीन) के लिये गारंटीकृत अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान के साथ कई मामलों में संरेखित नहीं है।

आगे की राह

- डिजिटल संचार और सूचनाओं तक पहुँच के लिये वधिक एवं नयिमक सुरक्षा उपायों के माध्यम से भाषण तथा अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता है।
- AI को पर्याप्त रूप से वनियामति करते हुए इसका उपयोग इंटरनेट की स्वतंत्रता को कम करने के बजाय उसका समर्थन करने के लिये किया जाना चाहिये।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/state-of-global-internet-freedom-in-2023>

